


24/9/2009

पार्वती ज्वान शान्ति वी०

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

25 तीन बार आवाजें लगावाई गई, फलतः वादी एवं
 वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आए। समय
 5:50 PM हो चुका है। वादी एवं वादी अधिवक्ता
 की अपाजति में पुनः एक बार आवाज लगाई
 गई, फलतः कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं
 वादी अधिवक्ता के अपाजति में उपस्थित नहीं
 आने के कारण वादी द्वारा उल्लेखित बार अन्तर्गत
 धारा 88, 89, 92 क एवं 188 राजस्थान कायदाकारी
 आधिनियम की अदम्य दायरी अदम्य पैरवी में
 धारिण किया जाता है। निर्यात से इजलास पुनः
 गणना रिक्ति पंजी जारी हो। जबाबली फैसल शुमार
 होकर न्यायिक दफ्तर ही तथा नम्बर से कम ही।


 27/3/25
 सहायक कलक्टर
 भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. पावती देवी पत्नी मांगीलाल जी जाति विशनोई निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. देबीलाल पिता मांगीलाल जी जाति विशनोई निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
वादीगण

बनाम

1. शांती पुत्री मगनलाल जी जाति विशनोई निवासी विशनोई मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. धापू पुत्री मगनलाल जी जाति विशनोई निवासी विशनोई मोहल्ला पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
4. उप पंजीयक, भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घौषणा इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 249/2009 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री मांगीलाल जी सेन अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 27.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


27/3/25
(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा